



उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तैयार मैनुअल

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा निम्नानुसार 17 बिन्दुओं पर मैनुअल तैयार किया गया है। :-

1. संस्था का विवरण, कार्य एवं कर्तव्य :-

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा-6 के अनुसार उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 20 मार्च 2002 को किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा-7(1) के अनुसार राज्य प्राधिकरण केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशों के अनुरूप कार्यान्वयन के दायित्व का निर्वाहन करती है एवं धारा 7(2) के अनुसार-

- अ. अधिनियम के अधीन पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा व निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान करती है।
- ब. लोक अदालतों का संचालन करती है।
- स. निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का संचालन करती है।
- द. केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श, विनियमों द्वारा नियत कृत्यों का पालन करती है।

2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य :-

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यालय प्रमुख के रूप में सदस्य सचिव जो उच्चतर न्यायिक सेवा का जिला जज चयन वेतनमान स्तर का अधिकारी होता है और जिसकी नियुक्ति माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श अनुसार शासन द्वारा की जाती है, पदस्थ होता है और जिसके द्वारा प्राधिकरण की शक्तियों का निर्वाहन प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष

(विभागाध्यक्ष) जो कि उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश होते हैं, उनके सामान्य नियंत्रण में किया जाता है। प्रशासनिक शक्तियां कार्यपालक अध्यक्ष में निहित होती है। संस्था के सुचारू संचालन के लिए संस्था में शासन द्वारा निर्धारित अन्य अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

3. कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेशों, निर्देशिका और अभिलेख :-

प्राधिकरण में नियुक्त अधिकारियों/कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वाहन एवं कार्य संपादन, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (कार्य संचालन एवं अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 2006 एवं केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर प्राप्त अनुदेशों, निर्देशों के अनुसार किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों का संकलन किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम—1987 की धारा 8(ए) के अंतर्गत गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, धारा—9 के अंतर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धारा 11(ए) के अंतर्गत गठित तहसील विधिक सेवा समिति तथा अन्य शासकीय संगठन एवं गैरशासकीय सामाजिक संगठनों के परस्पर सहयोग एवं समन्वय से प्राधिकरण द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

4. उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियमावली—2006 के नियम—4 के अनुसार राज्य प्राधिकरण की बैठक माननीय मुख्य संरक्षक/मुख्य न्यायाधीश या माननीय कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियत तिथि एवं समय में बुलाई जाती है एवं बोर्ड सदस्यों और जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों एवं परामर्शोपरांत बैठक में ही नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।

5. उपलब्ध दस्तावेजों का विवरण :-

राज्य प्राधिकरण नियम, विनियम तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों का संग्रह अभिलेख रखती है और कर्मचारियों द्वारा इन्हीं का उपयोग कर कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य नियंत्रण में विधिक योजना से संबंधित सांख्यिकी जानकारी एवं शासन तथा केन्द्रीय प्राधिकरण से समय—समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों एवं अनुदान राशि का आय व्यय विवरण पत्रक अभिलेख के रूप में संधारित किया जाता है।

6. बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं निकायों का विवरण :—

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम-1987 की धारा 8(ए) के अंतर्गत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं धारा-9 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा धारा-11(ए) के अंतर्गत गठित तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है जो कि राज्य प्राधिकरण के ही हिस्से हैं। इसके अतिरिक्त राज्य प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थता केन्द्रों व सुलह समझौता केन्द्रों का गठन भी सभी जनपद न्यायालय परिसर में किया गया है।

7. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम :—

राज्य प्राधिकरण में पदस्थ सदस्य सचिव, श्री प्रदीप पन्त, विभागीय अपीलीय अधिकारी (दूरभाष संख्या : 05942-236762) एवं प्रशासनिक अधिकारी, श्री रमाकान्त चौधरी, लोक सूचना अधिकारी (दूरभाष संख्या : 05942-236552) पदाभिहीत किये गये हैं। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला जज/अध्यक्ष, अपीलीय अधिकारी एवं सचिव, लोक सूचना अधिकारी पदाभिहीत किये गये हैं।

8. निर्णय लेने की प्रक्रिया :—

राज्य प्राधिकरण की बैठक माननीय मुख्य संरक्षक/मुख्य न्यायाधीश या माननीय कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियत तिथि एवं समय में बुलाई जाती है एवं बोर्ड सदस्यों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण सुझावों एवं परामर्शोपरांत बैठक में ही नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। तत्पश्चात जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति के माध्यम से नीतियों का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।

9. अधिकारियों/कर्मचारियों की डायरेक्टरी:—

मा० मुख्य संरक्षक, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।

मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड/मुख्य संरक्षक, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

मा० कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड / मा० कार्यपालक अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।

सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

05942-236762 (O)
05942-236552 (Telefax)

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के गणमान्य सदस्य	
क्र०सं०	पदनाम
1	मा० मुख्य न्यायमूर्ति/मुख्य संरक्षक
2	मा० वरिष्ठ न्यायमूर्ति/कार्यपालक अध्यक्ष
3	सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
4	महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड
5	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन
6	सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन
7	प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन
8	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद (बार काउन्सिल)
9	अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग
10	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड
11	सचिव/निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन
12	श्री जय देव सिंह, जिला न्यायाधीश
13	सुश्री कुमकुम रानी, जिला न्यायाधीश, हरिद्वार
14	श्री पी० सी० जोशी, विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, कुमाँऊ विश्वविद्यालय
15	श्री डी० के० शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड
16	श्री अविनन्दा, अधिवक्ता, जिला न्यायालय, देहरादून
17	उपमहानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स (N.C.C.) निदेशालय, देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, में कार्यरत कर्मचारी		
क्र०सं०	नाम	पदनाम
1.	श्री रमाकान्त चौधरी	प्रशासनिक अधिकारी
2.	श्री सयेन्द्र सिंह रावत	वैयक्तिक सहायक

3.	श्री उमेश चन्द्र मिश्र	वैयक्तिक सहायक
4.	सुश्री राधा कन्नौजिया	प्रधान सहायक
5.	श्री चेतन सिंह	प्रधान सहायक
6.	श्री रवि कुमार	आशुलिपिक
7.	श्री विनीत कुमार	कनिष्ठ सहायक
8.	श्री ललित बिष्ट	कनिष्ठ सहायक
9.	श्री त्रियुगी नारायण	कनिष्ठ सहायक
10.	श्री रवीश कुमार	कनिष्ठ सहायक
11.	श्री रमन सिंह पंवार	कनिष्ठ सहायक
12.	श्री हरेश नाथ	वाहन चालक
13.	श्री हेमंत कुमार	वाहन चालक
14.	श्री जगत सिंह	दफतरी
15.	श्री सुरेन्द्र सिंह सलाल	अनुसेवक
16.	श्री बचन सिंह	अनुसेवक
17.	श्री विजय राज पासी	अनुसेवक
18.	श्री विवेक गोस्वामी	वाहन चालक (उपनल के माध्यम से संविदा पर)
19.	श्री कमल आर्या	अनुसेवक (उपनल के माध्यम से संविदा पर)
20.	श्रीमती क्रान्ती देवी	स्वीपर सह फर्राश (प्रति माह नियत वेतन पर)

10. अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण निम्न प्रकार है।

(दिनांक 30 जून, 2014 तक)

क्र०सं०	नाम	पदनाम	पे स्केल—पे बैण्ड	बेसिक पे०	ग्रेड पे०	कुल वेतन
1.	श्री प्रदीप पन्त	सदस्य सचिव	57700—70290	61690	—	135970
2.	श्री रमाकान्त चौधरी	प्रशासनिक अधिकारी	9300—34800	15120	4600	43770
3.	श्री सयेन्द्र सिंह रावत	वैयक्तिक सहायक	9300—34800	11470	4200	38244
4.	श्री उमेश चन्द्र मिश्र	वैयक्तिक सहायक	9300—34800	11470	4200	38664

5.	सुश्री राधा कन्नौजिया	प्रधान सहायक	9300—34800	13280	4200	38730
6.	श्री चेतन सिंह	प्रधान सहायक	9300—34800	10210	4200	29540
7.	श्री रवि कुमार	आशुलिपिक	5200—20200	9140	2800	28848
8.	श्री विनीत कुमार	कनिष्ठ सहायक	5200—20200	7090	2000	21898
9.	श्री ललित बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	5200—20200	7390	2000	20680
10.	श्री त्रियुगी नारायण	कनिष्ठ सहायक	5200—20200	7390	2000	20680
11.	श्री रवीश कुमार	कनिष्ठ सहायक	5200—20200	7390	2000	20680
12.	श्री रमन सिंह पंवार	कनिष्ठ सहायक	5200—20200	7390	2000	20680
13.	श्री हरेश नाथ	वाहन चालक	5200—20200	8860	2400	24650
14.	श्री हेमंत कुमार	वाहन चालक	5200—20200	7090	1900	21483
15.	श्री जगत सिंह	दफतरी / मशीन आपरेटर	5200—20200	7390	1900	20285
16.	श्री सुरेन्द्र सिंह सलाल	अनुसेवक	5200—20200	7650	1900	20805
17.	श्री बचन सिंह	अनुसेवक	5200—20200	7650	1900	20805
18.	श्री विजय राज पासी	अनुसेवक	5200—20200	7100	1800	19600
19.	श्री विवेक गोस्वामी	वाहन चालक (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	—	—	—	11706
20.	श्री कमल आर्या	अनुसेवक (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	—	—	—	9677
21.	श्रीमती क्रान्ती देवी	स्वीपर सह फर्राश	2000 प्रति माह (नियत)	—	—	2000

11. बजट का प्रावधान :-

अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धनराशि दो स्रोतों, राष्ट्रीय विधिक सहायक निधि जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एवं राज्य विधिक सहायक निधि जो कि राज्य सरकार से प्राप्त होती है तत्पश्चात उक्त धनराशि का उपयोजन विधिक सेवा अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक सेवा प्रदान करने, लोक अदालतों का संचालन करने, विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित विभिन्न साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमों आदि में किया जाता है एवं उक्त के सम्बन्ध में उपयुक्त लेखे एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का रख रखाव नियमानुसार किया जाता है।

12. अनुदान कार्यक्रम के क्रियान्वयन की तिथि :-

विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन गैर शासकीय संगठनों के द्वारा किये जाने पर केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा राज्य शासन के अनुशंसा पर अनुदान दिया जाता है।

13. छूट, आज्ञानि तथा अधिकार पत्र किसी को भी संस्था द्वारा जारी नहीं किया गया है।

14. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम—1987 की धारा 8(ए) के अंतर्गत गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, धारा—9 के अंतर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धारा 11(ए) के अंतर्गत गठित तहसील विधिक सेवा समिति तथा अन्य शासकीय संगठन एवं गैरशासकीय सामाजिक संगठनों के परस्पर सहयोग एवं समन्वय से प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार विभिन्न क्रियाकलापों/ कार्यक्रमों का सम्पादन किया जाता है।

15. इलेक्ट्रानिक फार्म में उपलब्ध सूचना :-

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा योजना से संबंधित सांख्यिकी जानकारी इलेक्ट्रानिक फार्म में कम्प्यूटर पर उपलब्ध है।

16. जनउपयोग एवं सूचना प्राप्ति हेतु कार्यालय में उपयुक्त व्यवस्था की गई है। सूचना प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एवं प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है।

17. अन्य उपयोगी जानकारी जो विहित की जावे :-

राज्य प्राधिकरण के क्रियाकलापों की जनसामान्य जानकारी प्राधिकरण की वैबसाइट www.slsa.uk.gov.in, ई—मेल: slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com तथा कार्यालय के टॉल फ्री नं: 1800 180 4072 से प्राप्त की जा सकती है।

Sd/-

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल
दिनांक: 1 जुलाई, 2014

**Statement showing total sanctioned budget by the State Government for the financial year
2013-2014, for District Legal Services Authorities/High Court Legal Services Committee
2014-Administration of Justice-00-Nonplan-800-Other expenses-06-DLSAs/HCLSC**

S.N.	No. & Name of the Head	Total budget sanctioned by the State Govt.	Total expenditure as on 31 st March, 2014	Total budget surrendered to State Govt.
1	01-Pay	38,00,000	33,88,673	4,11,327
2	02-Wages	20,000	1,300	18,700
3	03-D.A.	31,00,000	28,33,717	2,66,283
4	04-T.A.	25,000	9,187	15,813
5	05-T.T.A.	20,000	-	20,000
6	06-O.A.	5,00,000	3,74,663	1,25,337
7	07-Honorarium	80,000	73,950	6,050
8	08-Office Expenses	1,00,000	84,110	15,890
9	09-Electricity Charges	10,000	-	10,000
10	11-Purchase of stationary & printing of forms	50,000	41,265	8,735
11	12-Office Furniture & Equipment	50,000	-	50,000
12	13-Telephone Charges	2,00,000	93,355	1,06,645
13	15-Maintenance of staff car & purchase of fuel	75,000	6,325	68,675
14	16-Payment for professional & Special Services	2,00,000	1,07,372	92,628
15	18-Publication	20,000	5,250	14,750
16	19-Advertisement, Sell & Promulgation	10,000	-	10,000
17	22-Sumptuary Allowance	10,000	-	10,000
18	27-Medical Reimbursement	2,50,000	46,300	2,03,700
19	42-Other Expenses	2,00,000	1,09,129	90,871
20	45-L.T.C.	50,000	-	50,000
21	46-Purchase of Computer Hardware/Software	1,00,000	23,387	76,613
22	47-Maint. of Comp. & Purchase of stationary	30,000	16,456	13,544
	Total	89,00,000	72,14,439	16,85,561

**Statement showing total sanctioned budget by the Government for the financial year
2013-2014, under different heads under 13th Finance Commission
2014-Administration of Justice-00-Nonplan-01-Central Plan/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना**

S.N.	No. & Name of the Head	Total budget sanctioned by the State Govt.	Total expenditure by UKSLSA/DLSAs /HCLSC as on 31 st March, 2014	Total budget surrendered to State Govt.
1	0104-Lok Adalat	34,26,000	8,04,891	26,21,109
2	0105-Legal Aid	68,54,000	32,90,301	35,63,699
3	0110- ADR Centre	3,53,20,000	5,36,264	3,47,83,736
	Total	4,56,00,000	46,31,456	4,09,68,544

**Statement showing total sanctioned budget by the Government for the financial year
2013-2014, for Uttarakhand State Legal Services Authority (UKSLSA)**
2014-Administration of Justice-00-Nonplan-800-Other Expenses-05-UKSLSA

S.N.	No. & Name of Head	Total Budget sanctioned by State Govt.	Total expenditure as 31 st March, 2014	Balance/available budget surrendered to State Govt.
1	01-Pay	30,00,000	27,21,655	2,78,354
2	02-Wages	1,00,000	24,000	76,000
3	03-D.A.	26,00,000	22,02,762	3,97,238
4	04-T.A.	1,70,000	1,21,384	48,616
5	05-T.T.A.	85,000	70,294	14,706
6	06-O.A.	5,40,000	4,95,560	44,440
7	07-Honorarium	20,000	15,000	5,000
8	08-Office Expenses	2,00,000	1,99,780	220
9	09-Electricity Charges	22,000	-	22,000
10	10-Water Tax	10,000	-	10,000
11	11 - Purchase of stationary & printing of forms	85,000	36,059	48,941
12	12 - Office Furniture & Equipment	50,000	48,799	1,201
13	13 - Telephone Charges	2,00,000	70,517	1,29,483
14	14-Purchase of Staff Car	-	-	-
15	15-Maintenance of staff car & purchase of fuel	2,00,000	1,75,436	24,564
16	16-Payment for professional & Special Services	3,50,000	1,31,021	2,18,979
17	18-Publication	50,000	-	50,000
18	19-Advertisement, Sell & Promulgation	40,000	26,304	13,696
19	22-Sumptuary Allowance	40,000	13,213	26,787
20	27-Medical Reimbursement	1,00,000	34,703	65,297
21	29-Maintenance	60,000	-	60,000
22	42-Other Expenses	50,000	7,945	42,055
23	44-Training Expenses	20,000	-	20,000
24	45-L.T.C.	15,000	-	15,000
25	46-Purchase of Computer Hardware/Software	50,000	47,470	2,530
26	47-Maint. of Comp. & Purchase of stationary	40,000	14,700	25,300
	Total	80,97,000	64,56,602	16,40,398

**Statement showing Budget Allocated by National Legal Services Authority, New Delhi
to the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital
for Financial Year 2013-14 Under Different Heads.**

S.N.	Head Name	Total funds Carry forwarded/ Allocated by NALSA	Total Expenditure of Budget till 31 st March, 2014	Unspent Budget to be Carry Forwarded for the Financial Year 2014-15
1	Miscellaneous/ General Head	1,76,81,876 (carry forwarded)	84,27,367	92,54,509
2	MNREGS	4,64,624 (carry forwarded)	—	4,64,624
3	Micro Legal Literacy Scheme	9,21,084 (carry forwarded)	—	9,21,084
4	Mediation Centres	5,897 (carry forwarded)	3,702	2,195
5	Mobile Van	1,02,453 (carry forwarded)	16,380	86,073
6	Bolero Type Van	10,123 (carry forwarded)	8,250	1,873
7	PLV's Training & Meets	10,00,000	1,24,491	8,75,509
8	Lawyers Training	20,00,000	—	20,00,000
9	Project of the Year 2013-14	25,00,000	—	25,00,000
10	Legal Services Clinics in College	2,00,000	—	2,00,000
11	ADR Methods: Mediation activities including payment of honorarium to mediators.	5,00,000	—	5,00,000
12	Visibility on Electronic & Print Media	10,00,000	—	10,00,000
13	For implementation of activities such as payment of honorarium to PLVs and Panel Lawyers as well as Training Programmes for Panel Lawyers & PLVs as per NALSA Scheme.	75,00,000	—	75,00,000
	Total:	3,38,86,057	85,80,190	2,53,05,867

**Statement showing total sanctioned budget by the Government for the financial year
2014-2015, for District Legal Services Authorities/High Court Legal Services Committee,
2014-Administration of Justice-Nonplan-800-Other Expenses-06-DLSAs**

S.N.	No. & Name of Head	Total budget sanctioned by the State Govt.	Total budget allocated by UKSLSA to DLSAs & HCLSC as on May, 2014	Balance/available budget with UKSLSA
1	01 – Pay	37,00,000	37,00,000	–
2	02 - Wages	20,000	20,000	–
3	03 - D.A.	40,00,000	40,00,000	–
4	04 - T.A.	25,000	25,000	–
5	05 - T.T.A.	20,000	20,000	–
6	06 - O.A.	4,18,000	4,18,000	–
7	07 - Honorarium	80,000	80,000	–
8	08 - Office Expenses	1,00,000	1,00,000	–
9	09 - Electricity Charges	10,000	10,000	–
10	11 - Purchase of stationary & printing of forms	50,000	50,000	–
11	12 - Office Furniture & Equipment	50,000	50,000	–
12	13 - Telephone Charges	80,000	80,000	–
13	15-Maintenance of staff car & purchase of fuel	75,000	75,000	–
14	16-Payment for professional & Special Services	1,00,000	88,000	12,000
15	18-Publication	20,000	20,000	–
16	19-Advertisement, Sell & Promulgation	10,000	10,000	–
17	22-Sumptuary Allowance	10,000	10,000	–
18	27-Medical Reimbursement	60,000	60,000	–
19	45-L.T.C.	50,000	50,000	–
20	46-Purchase of Computer Hardware/Software	1,00,000	1,00,000	–
21	47-Maint. of Comp. & Purchase of stationary	30,000	30,000	–
	Total	90,08,000	89,96,000	12,000

**Statement showing total sanctioned budget by the Government for the financial year
2014-2015, under different Heads under 13th Finance Commission
2014-Administration of Justice-00-Nonplan-01-Central Plan/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना**

S.N.	No. & Name of the Head	Total budget sanctioned by the State Govt.	Total expenditure by UKSLSA/DLSAs/HCLSC as on 31 st March, 2014	Total budget surrendered to State Govt.
1	0104-Lok Adalat	-	-	-
2	0105-Legal Aid	-	-	-
3	0110- ADR Centre	-	-	-
	Total	-	-	-

**Statement showing total sanctioned budget by the State Government for the Financial
Year 2014-2015, for Uttarakhand State Legal Services Authority**
2014-Administration of Justice-00-Nonplan-800-Oterh Expenses-05-UKSLSA

S.N.	No. & Name of Head	Total budget sanctioned by State Govt. till April, 2014	Total expenditure as 31 st March, 2015	Balance/available budget surrendered to State Govt.
1	01-Pay	29,00,000	-	-
2	02-Wages	30,000	-	-
3	03-D.A.	30,00,000	-	-
4	04-T.A.	1,20,000	-	-
5	05-T.T.A.	50,000	-	-
6	06-O.A.	3,41,000	-	-
7	07-Honorarium	20,000	-	-
8	08-Office Expenses	2,00,000	-	-
9	09-Electricity Charges	10,000	-	-
10	10-Water Tax	10,000	-	-
11	11 - Purchase of stationary & printing of forms	60,000	-	-
12	12 - Office Furniture & Equipment	50,000	-	-
13	13 - Telephone Charges	1,00,000	-	-
14	14-Purchase of Staff Car	2,00,000	-	-
15	15-Maintenance of staff car & purchase of fuel	2,00,000	-	-
16	18-Publication	25,000	-	-
17	19-Advertisement, Sell & Promulgation	20,000	-	-
18	22-Sumptuary Allowance	20,000	-	-
19	27-Medical Reimbursement	1,00,000	-	-
20	29-Maintenance	20,000	-	-
21	42-Other Expenses	20,000	-	-
22	44-Training Expenses	50,000	-	-
23	45-L.T.C.	50,000	-	-
24	46-Purchase of Computer Hardware/Software	40,000	-	-
	Total:	76,36,000	-	-

**Statement showing the total Budget Allocated by NALSA to
Uttarakhand State Legal Services Authority, (UKSLSA) Nainital
for the Financial Year 2014-15, Under Different Heads**

S.N.	Head Name	Total funds Carry forwarded/ Allocated by NALSA	Allocated by UKSLSA to DLSAs & HCLSC
1	Miscellaneous/General Head	92,54,509 (carry forwarded)	14,50,000
2	MNREGS	4,64,624 (carry forwarded)	—
3	Micro Legal Literacy Scheme	9,21,084 (carry forwarded)	6,50,000
4	Mediation Centres	2,195 (carry forwarded)	—
5	Mobile Van	86,073 (carry forwarded)	—
6	Bolero Type Van	1,873 (carry forwarded)	—
7	PLV's Training & Meets	8,75,509 (carry forwarded)	2,65,000
8	Lawyers Training	20,00,000 (carry forwarded)	—
9	Project of the Year 2013-14	25,00,000 (carry forwarded)	19,50,000
10	Legal Services Clinics in College	2,00,000 (carry forwarded)	1,80,000
11	ADR Methods: Mediation activities including payment of honorarium to mediators.	5,00,000 (carry forwarded)	—
12	Visibility on Electronic & Print Media	10,00,000 (carry forwarded)	—
13	For implementation of activities such as payment of honorarium to PLVs and Panel Lawyers as well as Training Programmes for Panel Lawyers & PLVs as per NALSA Scheme. Awareness Programmes and publicity.	75,00,000 (carry forwarded)	15,40,000
	Total	2,53,05,867	60,35,000

Sd/-
**Member Secretary,
Uttarakhand State Legal Services Authority,
High Court Campus,
Nainital**

**Place: Nainital
Date: 1st July, 2014**